शासकीय कार्यों के प्रयोगार्थ सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष (2022-23) में स्टेशनरी सामग्री एवं कम्प्यूटर प्रिन्टर्स हेतु टोनर/कार्टेज (ब्लैक) की आपूर्ति हेतु जारी निविदा के नियम एवं शर्तें।

1- आपूर्ति की जाने वाली स्टेशनरी सामग्री तथा प्रिन्टर हेतु टोनर/कार्टेज आदि उच्च गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए तथा सामग्री का मेक निविदा प्रपत्रों में अंकित विवरण के अनुसार होना आवश्यक है।

2- सफलतम निविदादाता द्वारा स्वीकृत न्यूनतम दरों पर वांछित सामग्री की आपूर्ति कार्यालय द्वारा निर्गत निर्देशानुसार कार्यालय परिसर में कराई जाएगी।

3- निविदादाता फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का मूल्य पृथक-पृथक रूप से कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रारूपों में ही प्रस्तुत किया जाएगा तथा प्रस्तुत की जाने वाली दरें तुलनात्मक रूप में स्थानीय बाजार दरों से उच्चतर न होंगी।

4- आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा आवंटित कार्य को पुनः किसी अन्य फर्म को हस्तगत नहीं किया जाएगा।

5- सेवा प्रदान करने में विलम्ब होने पर दर अनुबंध का निरस्तीकरण निम्नांकित अवसरों पर कार्यप्रभारित प्रतिभूति धनराशि को जब्त करते हुए दर पंजीयन को समाप्त कर दिया जायेगा :-

क-यदि आपूतिकर्ता फर्म समय पर कार्यालय में आपूर्ति करने में विफल रहता है।

ख-यदि आपूतिकर्ता फर्म द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सामग्री अंकित विवरण के अनुसार न हों।

6- सभी प्रकार के करों आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।

7- उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त कोई बिन्दु जो सामग्री आपूर्ति से सबंधित हो एवं इंगित शर्तों में सम्मिलित नहीं किया जा सका हो, संज्ञान होने पर संबंधित बिन्दु को पृथक से अवगत कराया जाएगा।

8- नियम तथा शर्तों को परिवर्तित करने तथा अनुबंध समाप्त करने का पूर्ण अधिकार विभागाध्यक्ष का होगा।

9- पृथक-पृथक निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा शुल्क की धनराशि रूपया 500/- (रूपया पांच सौ मात्र) प्रति निविदा को कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी में नकद जमा कराते हुए संबंधित रसीद मूल में तथा धरोहर धनराशि रूपया 5,000/- (रूपया पांच हजार मात्र) की F.D प्रति निविदा जो श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के पक्ष में देय हो, संलग्न किया जाना आवश्यक है अन्यथा की स्थिति में निविदा प्रपत्र को रद्द कर दिया जाएगा।

10- निविदादाता द्वारा फर्म का GST में पंजीयन तथा पैन एकाउण्ट संबंधी प्रपत्र लगाया जाना आवश्यक होगा।

11- बीजकों का भुगतान नियमानुसार GST TDS तथा Income Tax TDS काटते हुए किया जाएगा।

12- निविदा प्रपत्रों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन तथा अन्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही अर्थात **निविदा को खोले जाने की तिथि में परिवर्तन तथा रद्द** किये जाने संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना **(संशोधन/शुद्धि पत्र)** पृथक से समाचार-पत्रों में **प्रकाशित नहीं** करायी जाएगी। किसी भी प्रकार का **संशोधन एवं शुद्धि पत्र विभागीय वैब साईट** www.labour.uk.gov.in **में ही अपलोड** किया जाएगा।

13- निविदादाता फर्म द्वारा (1) स्टेशनरी सामग्री एवं (2) कम्प्यूटर प्रिन्टर्स हेतु टोनर/कार्टेज (ब्लैक) की आपूर्ति हेतु सीलबंद पृथक-पृथक दोनों निविदाएं अथवा एक सामग्री हेतु भी निविदा प्रस्तुत की जा सकती है।

श्रम आयुक्त
उत्तराखण्ड